प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 242/2023

रामदास लकड़ा पिता सरोधन 32 वर्ष निवासी गाँव बेलबहारा, मौहरीपारा, चौकी कोड़ा, पुलिस थाना झागराखंड, जिला कोरिया छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना झागराखंड के द्वारा , जिला कोरिया छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :श्री विवेक शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री नितेश जयसवाल, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

21.08.2025

1. अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर यह आपराधिक अपील, विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 61/2017 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 30.11.2022 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तथा आजीवन कठोर कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि सुमित्रा का विवाह सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार ग्राम बेलबाहरा, मौहारीपारा के रामदास के साथ हुआ था, उनके विवाहित जीवन से उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का दीपक जिसकी आयु लगभग 7 वर्ष है, तथा एक लड़की जिसकी आयु लगभग 4 वर्ष है।सुमित्रा की एक बहन का विवाह भी बेलबाहरा गांव के मौहारीपारा निवासी मंगल साय से हुई थी।दोनों का घर पास में ही है।रामदास कोई काम नहीं करते थे तथा शराब पीते थे।जब सुमित्रा उसे ऐसा करने से रोकती थी, तो वह लगभग हर दिन उससे लड़ता तथा पीटता था।दिनांक 20/03/2017 को रात्रि लगभग 9 बजे सुमित्रा के घर से तेज चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मंगल साय दौड़कर उसके घर गया तो देखा कि रामदास अपने घर के आंगन में रसोई के सामने हाथ में टंगी लेकर खड़ा था।रामदास के पिता सरोधन तथा दादा सुपेत भी वहाँ खड़े थे।जब मंगल से ने सरोधन तथा सुपेत से पूछा, तो उन्होंने उन्हें बताया कि रामदास ने अपनी पत्नी सुमित्र को रसोई में टांगी से मारकर मार डाला था।सुमित्रा का शव रसोई में पड़ा हुआ था।मंगल साय ने रसोई में जाकर देखा तो सुमित्रा रसोई के चूल्हे के पास फर्श पर मृत पड़ी थी।उसकी गर्दन पर एक लंबा गहरा कट का निशान था।उसकी गर्दन से बहुत खून निकला था तथा उसके चेहरे और फर्श पर खून बह गया था।यह देखकर मंगल साय बहुत डर गया और भागकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और गाँव के सरपंच के भाई भंवर सिंह को भी सारी बात बताई और उसके साथ उसी रात 1.50 बजे पुलिस चौकी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर, ग्रामीण हत्या सूचना क्रमांक 0/2017 दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 174 के तहत दर्ज किया गया और ग्रामीण परिवाद क्रमांक 0/2017 भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत रामदास के खिलाफ दर्ज किया गया और मामले को अन्वेषण में लिया गया था.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. चौकी कोड़ा में दर्ज ग्रामीण सूचना क्रमांक 0/2017 के आधार पर थाना झगराखांड में मर्ग सूचना क्रमांक 8/2017 पंजीबद्ध किया गया तथा चौकी कोड़ा में दर्ज ग्रामीण शिकायत के आधार पर थाना झगराखांड में अपराध क्रमांक 49/2017 पंजीबद्ध किया गया।सूचना पश्चात् घटना की रात को कोड़ा पुलिस चौकी के प्रभारी, सहायक उप-निरीक्षक धर्मेंद्र बनर्जी, कांस्टेबल संख्या 49 के साथ मौके पर पहुंचे।अंधेरा तथा रात होने के कारण घटनास्थल तथा शव का निरीक्षण करना संभव नहीं था।घटनास्थल तथा शव को सुरक्षित रखने हेतु, पुलिस ने साक्षीयों की उपस्थिति में इसे बंद कर दिया तथा सुरक्षा हेतु मौके पर तैनात रही।अगले दिन 21/03/2017 को सुबह 10.50 पर, स्थान का ताला हटा दिया गया तथा मुहर हटा दी गई थी।पंचनाम की कार्यवाही साक्षीयों को सुमित्र के शरीर की पंचनाम कार्यवाही में उपस्थित होने का नोटिस देकर की गई थी। रामदास के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसकी सम्पत्ति जब्त की गई।अन्वेषण के दौरान रामदास द्वारा अपराध किया जाना पाया गया, अतः उसे दिनांक 21/03/2017 को गिरफ्तार कर दिनांक 22/03/2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनेन्द्रगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया, उसका प्रथम रिमांड प्राप्त किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरांत दिनांक 29/05/2017 को उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए मामले को 30/05/2017 पर सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था।

4. जब भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत आरोप पत्र आरोपी को पढ़ा गया, तो उसने अपराध करने से इनकार कर दिया।अभियुक्त से दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 313 तहत प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि वह निर्दोष था तथा उसे गलत तरीके से फंसाया गया था।जब अभियुक्त को बचाव में पेश किया गया, तो उसने कहा कि वह बचाव का साक्ष्य नहीं देगा।

5. र्विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करते हुए, अपने निर्णय दिनांक 30.11.2022 द्वारा, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे उपर्युक्त सजा सुनाई, जिसके खिलाफ यह आपराधिक अपील दायर की गई है।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा ने तर्क दिया कि विद्वान निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।उन्होंने आगे कहा कि यदि अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया जाए, तो भी अपीलकर्ता द्वारा क्षणिक आवेश में आकर तथा नशे की हालत में मृतक को चोट पहुंचाना कहा जा सकता है।अपीलकर्ता की ओर से मृतक की मृत्यु का कोई उद्देश्य या आशय नहीं था और केवल अचानक झगड़े के कारण, आवेश और क्रोध में, नशे की हालत में, अपीलकर्ता ने मृतक को चोटें पहुंचाईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया किः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) कोई पूर्व-योजना नहीं थी; (ख) घटना अचानक हुए घरेलू झगड़े के दौरान घटित हुई; (ग) अपीलकर्ता नशे में था; (घ) हमला एक ही वार से हुआ; और (ङ) मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं था; अधिक से अधिक जानकारी का ही आरोप लगाया जा सकता है।अतः, वर्तमान अपीलकर्ता का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और अपीलकर्ता का कृत्य गैर-इरादतन हत्या का है, इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-□ या भाग-□□) के तहत अपराध में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः, वर्तमान अपील पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता ने मृतका पर टंगिया से जानलेवा हमला करके उसकी हत्या की है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराना सही माना है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग-□ या भाग-□□ के तहत बदला/परिवर्तित किया जा सकता है और इस प्रकार, तत्काल आपराधिक अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

9. विचार हेतु पहला प्रश्न यह होगा कि क्या मृतक की मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी?

10. इस संबंध में डॉ. एस.के. तिवारी (अ.सा.-16) का कथन है कि सुमित्रा के पोस्टमार्टम हेतु आवेदन चौकी प्रभारी कोड़ा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ (अ.सा.-28) को भेजा गया था।उन्होंने आगे बताया कि पोस्टमार्टम जांच डॉ. धर्मेन्द्र बनर्जी द्वारा दिनांक 21/03/2017 को दोपहर 2.00 बजे प्रारंभ की गई थी। शव के बाह्य परीक्षण में पाया गया कि मृतका ने नीले रंग की साड़ी एवं भूरे रंग का ब्लाउज पहना हुआ था, जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे, मृतका के गर्दन के बायीं ओर ढाई गुणा एक इंच का कटा हुआ घाव था, जो तिरछे कान के पास था।यह पीठ से छाती तथा गर्दन के जोड़ तक मौजूद था।घाव की गहराई इतनी अधिक थी कि रक्त वाहिकाएं, विंडपाइप तथा भोजन नली भी काट दी गई थी।गर्दन की रीढ़ की हड्डी तक गहराई थी, ऐसा लगता था कि घाव एक तेज हथियार के कारण हुआ था।मृतका की मृत्यु गर्दन में गंभीर एवं गहरी चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी, जो मृत्यु के 15 से 20 घंटे के भीतर हुई थी और हत्या की प्रकृति की थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-29 है।इस साक्षी के कथनों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-29 से होती है

11. इस प्रकार, डॉ. धर्मेन्द्र सिंह द्वारा ली गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी-29) अकाट्य है।घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुँचे और शव पंचनामा के साक्षी मंगल साय (पीडब्लू-1), सरोधन (पीडब्लू-2), श्रीमती संतोषी (पीडब्लू-3), सुपेत लकड़ा (पीडब्लू-4), संतराम (पीडब्लू-5), समारू लाल (पीडब्लू-1), प्रताप सिंह (पीडब्लू-10) ने भी बताया कि उन्होंने मृतका की गर्दन पर चोट का निशान और घटना स्थल पर अत्यधिक रक्तस्राव देखा था, जिससे सिद्ध होता है कि श्रीमती सुमित्रा की मृत्यु की प्रकृति हत्या की प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अब, विचार हेतु प्रश्न यह होगा कि क्या इसमें अभियुक्त-अपीलार्थी विचाराधीन अपराध का अपराधी है।

13. इस संबंध में मंगल साय (पीडब्लू-1) ने बताया कि घटना के दिन वह अपने घर में था और रात करीब 9:00 बजे उसे जोर से रोने की आवाज सुनाई दी, तब वह सुमित्रा के घर की ओर दौड़ा, उसके आंगन में पहुंचा तो देखा कि रामदास हाथ में टांगी लिए रसोई के पास खड़ा था, टांगी पर खून लगा हुआ था, रामदास के पिता सरोधन और उसके बड़े पिता सुपेत भी आंगन में खड़े थे, उसने उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि रामदास ने टांगी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, सुमित्रा रसोई में मृत पड़ी थी, रामदास ने टांगी से सुमित्रा की गर्दन काट दी थी, गर्दन के कटे हुए हिस्से से काफी खून बह रहा था, जिसे देखकर वह डर गया और भागकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को बताया, उसके बाद उसने सारी बात अपने पड़ोसी संतराम को बताई और उसके साथ सरपंच के घर गया।सरपंच घर पर नहीं थे, इसलिए उनके बड़े भाई भंवर ने सिंह को पूरी घटना बताकर उनके साथ पुलिस चौकी कोड़ा जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।उनकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी कोड़ा में मुर्गा सूचना (प्रत्यक्ष पी-2) और ग्रामीण परिवाद(प्रत्यक्ष पी-1) दर्ज की गई।इस साक्षी के बयानों का समर्थन सरोधन (पीडब्लू-2), श्रीमती संतोषी (पीडब्लू-3), सुपेत लाकड़ा पीडब्लू-4), संतराम (पीडब्लू-5), भंवर सिंह (पीडब्लू-6), दानिश शेख (पीडब्लू-13) ने किया है।इन साक्षीयों के बयानों की पुष्टि ग्रामीण विलय सूचना (एक्स पी/ 2) तथा ग्रामीण परिवाद (एक्स पी/ 3) द्वारा की जाती है।

14. यह तथ्य जिरह में अकाट्य रहा, जिससे सिद्ध होता है कि घटना की रात लगभग 9.00 बजे उसने रामदास के घर से रोने व चिल्लाने की आवाज सुनी, तथा जब वह उसके घर देखने गया तो मृतका सुमित्रा रसोई में मृत पड़ी थी।रामदास के पिता सरोधन तथा दादा सुपेत से पूछने पर उन्होंने बताया कि रामदास ने अपनी पत्नी सुमित्र की टांगिया से हत्या कर दी थी, वह भंवर सिंह के साथ कोड़ा चौकी पर गया तथा यह जानकारी दी, उसकी रिपोर्ट पर ग्रामीण मृत्यु की सूचना दी गई तथा ग्रामीण परिवाद दर्ज की गई।

15. दानिश शेख (अ.सा.-13) ने बताया कि दिनांक 21/03/2017 को अपराह्न 3.00 बजे चौकी प्रभारी कोड़ा सहायक उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र बनर्जी ने ग्राम बेलबहरा, मौहारीपारा स्थित मृतका सुमित्रा के घर के रसोई दुर्घटना स्थल को सील करने के संबंध में पंचनामा (अ.सा.-6) तैयार किया।इस साक्षी के कथनों का समर्थन पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी मंगल साय (अ.सा.-1), समारू राम (अ.सा.-1), प्रताप सिंह (अ.सा.-10) द्वारा किया गया है।इन साक्षी के कथनों की पुष्टि प्रदर्श पी-6 द्वारा की गई है। यह तथ्य अकाट्य है, जिससे सिद्ध होता है कि घटना दिनांक 20/03/2017 को रात्रि लगभग 9.00 बजे घटित हुई थी।दिनांक 21/03/2017 को प्रातः 1.30 बजे कोड़ा पुलिस चौकी पर घटना की सूचना मिलने पर कोड़ा पुलिस चौकी प्रभारी अपने स्टाफ के साथ रात्रि में ही घटनास्थल पर पहुँचे। चूँकि रात्रि में कार्यवाही करना संभव नहीं था, अतः घटनास्थल को सील कर पंचनामा (प्रदर्श पी-6) तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. डॉ. एस. के. तिवारी (पीडब्लू-16) ने बताया कि डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने मृतक की साड़ी, ब्लाउज, कपड़े तथा खून के नमूने को सील कर दिया था तथा उन्हें सिपाही को सौंप दिया था।अनिल दुबे (पीडब्लू-2) ने इस साक्षी के बयान का समर्थन किया है तथा कहा है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे दी गई सीलबंद सामग्री को चौकी प्रभारी कोड़ा के सामने पेश करने पर प्रदर्शनी पी-11 के अनुसार जब्त कर लिया गया था।शव परीक्षण रिपोर्ट तथा शव परीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मृतक ने नीले रंग की साड़ी तथा भूरे रंग का ब्लाउज पहना हुआ था।इसलिए, शव के शव परीक्षण के पश्चात् , प्रदर्शनी पी-11 के अनुसार मृतक द्वारा पहनी गई साड़ी, ब्लाउज तथा उसके रक्त के नमूने को जब्त कर लिया गया है।

17. दानिश शेख (अभि.सा.-13) ने बताया कि दिनांक 21/03/2017 को 16.00 बजे, जब चौकी प्रभारी धर्मेन्द्र बनर्जी ने अभियुक्त रामदास को अभिरक्षा में लिया और साक्षी प्रताप सिंह, समारू के समक्ष पूछताछ की, तो उसने एक ज्ञापन बयान (प्र.सा.-12) दिया कि उसने अपनी पत्नी सुमित्रा के सिर के नीचे गर्दन पर लोहे की टंगी से प्रहार किया था, तथा डर के मारे लोहे की टंगी को अपने घर के अंदर छिपाकर रखा था, तथा वह जाकर उसे बाहर निकालेगा।इस साक्षी के बयानों का समर्थन ज्ञापन के स्वतंत्र साक्षी समारू लाल (अभि.सा.-9), प्रताप सिंह (अभि.सा.-10) ने किया है।

18. दानिश शेख (अ.सा.-13) ने बताया है कि दिनांक 21/03/2017 को 17.30 बजे, अभियुक्त रामदास अपने घर मौहारीपारा बेलबाहरा से एक लोहे की टांगी जिस पर खून लगा हुआ था, जिसमें भूरे रंग का बांस का

बेंत लगा हुआ था, जिसकी कुल लंबाई 35 इंच, जिसके ऊपरी भाग की मोटाई साढ़े छह सेमी तथा दर्रे के पास की मोटाई लगभग 7 सेमी है, जिसमें 3 गांठें और 4 किनारे हैं, लोहे की टांगी की चौड़ाई से लंबाई 1 इंच है, टांगी की कुल लंबाई 12 सेमी है, दर्रे की ऊपर से नीचे तक कुल लंबाई 5 सेमी है, किनारे से किनारे तक टांगी की लंबाई 7 सेमी है।यह पेश करने पर, प्रदर्शनी पी-13 के अनुसार चौकी प्रभारी कोड़ा धर्मेंद्र बनर्जी ने साक्षीयों के सामने इसे जब्त कर लिया।इस साक्षी के बयानों का समर्थन जब्ती के स्वतंत्र साक्षी समारू लाल (पीडब्लू-9), प्रताप सिंह (पीडब्लू-10) द्वारा किया गया है।इन साक्षी के बयानों की पुष्टि जब्ती पत्र प्रदर्श पी-13 द्वारा की जाती है।डॉ.आर. टंडन (अ.सा.-14) ने यह भी कहा है कि जप्त टांगी की जांच हेतु आवेदन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़ को दिया गया था तथा डॉ.एस.के. तिवारी (अ.सा.-16) ने यह भी कहा है कि जप्त टांगी को डॉ.धर्मेन्द्र सिंह के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि आरोपी रामदास से उसके ज्ञापन के आधार पर टांगी जप्त की गई थी।

19. डॉ.एस.के. तिवारी (अ.सा.-16) ने बताया है कि दिनांक 25/04/2017 को डॉ.धर्मेन्द्र सिंह को जप्त टांगी की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु लिखित परिवाद प्राप्त हुई थी।डॉ.धर्मेन्द्र सिंह ने परीक्षा कर प्रतिवेदन प्रदर्श पी-30 के रूप में दिया।मृतक की मृत्यु जप्त टांगी के कारण होने की रिपोर्ट दी गई है, इस तथ्य का प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि जप्त टांगी की जांच हेतु आवेदन पर डा. धर्मेन्द्र सिंह ने प्रदर्श पी-30 के रूप में रिपोर्ट दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. श्रीमती संतोषी (अभि.सा.-3) ने अपनी जिरह में कहा है कि सुमित्रा उसे बताया करती थी कि अभियुक्त शराब पीने के बाद उससे झगड़ा और मारपीट करता था, जिससे पता चलता है कि अभियुक्त शराब पीने के बाद अपनी पत्नी सुमित्रा से झगड़ा और मारपीट करता था।

21. घटना के तुरंत बाद, अभियुक्त के पिता सरोधन और उसके बड़े पिता सुपेत लकड़ा सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँचे।सरोधन (अभि.सा.-2) ने अपनी गवाही में कहा है कि घटना वाले दिन उसने खाना खाया और रात में अपने घर में सोया।उनके भाई सुपेत लाकड़ा भी उनके घर में थे।रामदास तथा उनकी पत्नी सुमित्र एक अलग कमरे में थे।रात के लगभग 11 बजे, तेज़ आवाज़ सुनकर वह अपने कमरे से बाहर आया और रामदास के कमरे के दरवाज़े के पास जाकर उसे ज़बरदस्ती खोला।उसने देखा कि सुमित्रा ज़मीन पर पड़ी थी, उसका गला कटा हुआ था और खून बह रहा था।उसका बेटा रामदास हाथ में दरांती लिए किनारे खड़ा था। सुमित्रा मर चुकी थी।फिर वह बाहर आया और शोर मचाया।मंगल सारा (पीडब्लू-1) ने इस साक्षी के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि रात को जब वह अपने घर से बाहर जा रहा था तो उसने देखा कि वह घर से बाहर आ गया है और रो रहा है। जब वह वहां गया तो उसने एक जोर की चीख सुनी।वह सुमित्रा के घर की ओर दौड़ा।जब वे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामदास हाथ में दरांती लिए रसोई के पास खड़े थे।दरबान पर खून साफ दिखाई दे रहा था।सुमित्रा रसोई में मृत पड़ी थी।सुमित्रा की गर्दन से बहुत खून बह रहा था।रामदास ने हंसिये से सुमित्रा की गर्दन काट दिया था ।घटना के तुरंत पश्चात् , आरोपी के पिता सरोधन तथा मंगल साई ने आरोपी को हाथ में टांगिया लिए देखा।आरोपी अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में था।इसलिए, मामले की

समस्त परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि आरोपी ने खुद अपनी पत्नी को टांगिया से मारकर उसकी हत्या कर दी थी।22. उपर्युक्त निष्कर्ष हमें विचारणीय अगले प्रश्न की ओर ले जाता है, क्या अपीलकर्ता का मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है, जो गैर इरादतन हत्या के संबंध में है और उसकी दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग-□ या भाग-□□ में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है?

23. **सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य** 1 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस राय के हैं कि सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व के अभाव में सुखबीर सिंह द्वारा अचानक झगड़े के बाद आवेश में अचानक लड़ाई में बिना किसी पूर्वचिंतन के सदोष मानव वध का अपराध करना साबित हो गया है और उन्होंने क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है और उनका मामला धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 द्वारा कवर किया गया है जो धारा 304 (भाग I) आईपीसी के तहत दंडनीय है। धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय हत्या के अपराध के लिए उपरोक्त अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालयों के निष्कर्ष को खारिज कर दिया जाता है और उन्हें धारा 304 (भाग I) आईपीसी के तहत दंडनीय हत्या की श्रेणी में न आने वाली सदोष मानव वध के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 10 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना भरने का दंड पारित किया जाता है।जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे एक वर्ष हेतु और कठोर कारावास का दंड भुगतना होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इसके अलावा, अर्जुन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद्यक पर विस्तार से विचार किया है और कंडिका 20 और 21 में टिप्पणी की है, जो इस प्रकार है:---

"20. इस अपवाद 4 को लागू करने के लिए, इस न्यायालय द्वारा सुरिंदर कुमार बनाम यूटी, चंडीगढ़ [(1989) 2 एससीसी 217:1989 एससीसी (क्रि) 348] में निर्धारित की गई आवश्यकताओं को निम्नानुसार समझाया गया है:(एससीसी पृष्ठ 220, कंडिका 7)(एससीसी पृष्ठ 220, कंडिका 7)"

7. इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (□) यह एक अचानक झगड़ा था; (□□) कोई पूर्वचिंतन नहीं था; (□□□) कार्य आवेश में किया गया था; और (□□) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था।झगड़े का कारण सुसंगत नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसावे की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान लगी चोटों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना अचानक और बिना सोचे-समझे हुई होगी और अपराधी ने क्रोध में आकर यह काम किया होगा।बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूरता से काम नहीं किया होगा।जहाँ, अचानक झगड़े के दौरान, कोई व्यक्ति आवेश में आकर कोई हथियार उठा लेता है जो हाथ में है और जिससे चोटें पहुँचती हैं,

जिनमें से एक घातक साबित होती है, तो वह इस अपवाद का लाभ पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसने क्रूरता से काम न किया हो।"

21. इसके अतिरिक्त, अरुमुगम बनाम राज्य [(2008) 15 एससीसी 590:(2009) 3 एससीसी (क्रि) 1130] में, विधि के इस प्रस्ताव के समर्थन में कि किन परिस्थितियों में मृत्यु होने पर धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 को लागू किया जा सकता है, इसे निम्नानुसार समझाया गया है:(एससीसी पृष्ठ 596, कंडिका 9)

"9. ....'18.अपवाद 4 की मदद तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) बिना सोचे-समझे हुई हो; (ख) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किए बिना; और (घ) लड़ाई में मारे गए व्यक्ति के साथ हुई हो। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी तत्व पाए जाने चाहिए।यह ध्यान देने योग्य है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली "लड़ाई" को दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किया गया है।लड़ाई के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है।आवेश की तीव्रता के लिए यह आवश्यक है कि आवेश को शांत होने का समय न मिले और इस मामले में, पक्षकारों ने शुरुआत में हुई मौखिक बहस के कारण स्वयं को उग्र बना लिया था। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के।यह कोई सामान्य नियम नहीं बताया जा सकता कि अचानक झगड़ा किसे माना जाएगा। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए।अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं थायह भी दर्शाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है।प्रावधानों में प्रयुक्त "अनुचित लाभ" शब्द का अर्थ "अनुचित लाभ" है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अर्जुन (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि आशय और ज्ञान है, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-□ के अंतर्गत आएगा और यदि यह केवल ज्ञान का मामला है और हत्या और शारीरिक चोट पहुँचाने का आशय नहीं है, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-□□ के अंतर्गत आएगा।

26. इसके अलावा, रामबीर बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) 3 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चार तत्व निर्धारित किए हैं, जिनका परीक्षण किसी मामले को आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के दायरे में लाने के लिए किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है:

"16. आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के सरल अध्ययन से पता चलता है कि निम्नलिखित चार अवयवों की आवश्यकता हैः

((i) अचानक लड़ाई होनी चाहिए।

(ii) कोई पूर्वधारणा नहीं थी;

(iii) यह कृत्य आवेश में आकर किया गया था;तथा

(iv) यह कृत्य आवेश में आकर किया गया था; और

(iv) अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया था।"

27. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और धारा 300 के संदर्भ में आशय और ज्ञान के बीच का अंतर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है।आशय किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने की सचेत इच्छा को दर्शाता है, जबकि ज्ञान इस बात की जागरूकता को दर्शाता है कि किसी विशेष परिणाम के घटित होने की संभावना है।वर्तमान मामले में, जबकि अपीलकर्ता के कार्य निस्संदेह दोषसिद्ध थे, परिस्थितियाँ बताती हैं कि उसका अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण बनने का इरादा नहीं था।हालाँकि, यह स्पष्ट है कि वह जानता था कि उसके कार्यों से नुकसान होने की संभावना थी।

28. अपवाद 4 वहाँ लागू होता है जहाँ (☐) कार्य बिना पूर्व-चिंतन के किया जाता है, (☐☐) अचानक लड़ाई में, (☐☐☐) अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में, तथा (☐☐) अपराधी के अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व-योजना के अभाव में अचानक हुए झगड़ों से उत्पन्न एकल-प्रहार/सीमित-प्रहार के मामलों में अपवाद 4 को लगातार लागू किया है, जबकि घटना से पहले/बाद में चोट के स्थान, हथियार, बल और आचरण की सावधानीपूर्वक जाँच की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. धारा 304 के भाग ☐ और भाग ☐☐ के बीच विभाजक रेखा मनःस्थिति पर आधारित है:भाग ☐ तब लागू होता है जब मृत्यु कारित करने का इरादा हो या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो; भाग ☐☐ तब लागू होता है जब इरादा अनुपस्थित हो, लेकिन अभियुक्त को पता था कि मृत्यु संभावित है।

30. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, निम्नलिखित तथ्य प्रमुख हैं:

☐ अभियोजन पक्ष द्वारा कोई पूर्वचिंतन या पूर्व उद्देश्य साबित नहीं किया गया है।

☐ घटना देर रात अचानक हुए झगड़े के बाद घर के अंदर हुई।

☐ अपीलकर्ता नशे में था; रिकॉर्ड में इस बात के प्रमाण हैं कि शराब के सेवन से झगड़े शुरू हुए (पीडब्लू-3)।

☐ घरेलू टांगी के साथ एक घातक प्रहार हुआ; बार-बार हमले या पीछा करने का कोई साक्ष्य नहीं है।

31. अब अपवाद 4 के अनुप्रयोग पर आते हुए, वर्तमान तथ्यों पर, यह निम्नानुसार देखा जाता है:---

ए)।अचानक आना और कोई पूर्व-चिंतन नहीं होना:झगड़ा अपीलकर्ता के घर पर शराब पीने के मुद्दे पर शुरू हुआ।पूर्व दुश्मनी, निगरानी या पहले से हथियार खरीदने का कोई सबूत नहीं है।

बी)आवेश की तीव्रता:मौखिक विवाद तेज़ी से बढ़ा; मारपीट तुरंत हुई; कोई शांत होने का अंतराल नहीं है

सी)कोई अनुचित लाभ नहीं:दोनों पक्षों की स्थिति समान थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने असहाय पीड़ित का शोषण किया या अक्षमता के बाद भी हमला जारी रखा।

डी)कोई क्रूर/असामान्य तरीका नहीं:साक्ष्य सीमित आघात और पैरों से कुचलने, बार-बार छुरा घोंपने या यातना जैसे आचरण का अभाव दर्शाते हैं।

32. इन तथ्यों के आधार पर, धारा 300 के अपवाद 4 का मैट्रिक्स प्रथम दृष्टया संतुष्ट होता है, जो न्यायालय के "अनुचित लाभ" और क्रूरता के आकलन के अधीन है।आधारभूत अपराध सदोष मानव वध है, हत्या नहीं।

33. अब जब धारा 300 के अपवाद 4 का मैट्रिक्स प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है, तो विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि क्या मामला धारा 304 भाग □ या भाग □□ के अंतर्गत आता है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. चिकित्सा राय में चोट को सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त माना गया है।प्रहार गर्दन पर लक्षित था।अपवाद 4 के मामलों में भी, जहाँ चोट का स्थान महत्वपूर्ण है और बल ज़ोरदार है, न्यायालय अक्सर शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय का अनुमान लगाती हैं जिससे मृत्यु होने की संभावना है और भाग □ की ओर जाती हैं। इसके अलावा, जहाँ स्थान गैर-महत्वपूर्ण है और मृत्यु जटिलता से होती है, अदालतें भाग □□ (ज्ञान) की ओर जाती हैं।हालाँकि, प्रत्येक मामला हमले के तरीके और अपीलकर्ता के आचरण पर निर्भर करता है।

35. यहाँ, (□) गर्दन पर लक्षित प्रहार, (□□) आंतरिक क्षति से प्रमाणित गहराई/बल, और (□□□) डॉक्टर की यह राय कि चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, इन सबका संयोजन, ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय का सुरक्षित अनुमान लगाने की अनुमति देता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है।साथ ही, पूर्वचिंतन का अभाव और अचानक झगड़ा मामले को धारा 302 से बाहर और अपवाद 4 के माध्यम से धारा 304 भाग □ के अंतर्गत लाता है।

36. इसलिए, न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि धारा 304 भाग □, न कि 304 भाग □□, दोषसिद्धि को सही ढंग से दर्शाता है।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनबझगन बनाम राज्य (2023 आईएनएससी 632) के मामले में धारा

300 के अपवाद 4 के मैट्रिक्स को आसानी से लागू किया।निर्णय के सुसंगत कंडिका नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:---

20. आशय" शब्द तीरंदाजी या लक्ष्य शब्द से लिया गया है।प्रयास किया गया "कार्य" एक आदमी को मारने के आशय " के साथ होना चाहिए।

21. आशय, जो एक मानसिक स्थिति है, प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा कभी भी एक तथ्य के रूप में सटीक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है; इसे केवल सिद्ध किए गए अन्य तथ्यों से ही अनुमान लगाया जा सकता है। आशय को स्वीकारोक्ति पर, घटना या घटना से पहले या बाद में किए गए कार्यों या घटनाओं द्वारा, रिस गेस्टे द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।किसी व्यक्ति का आशय प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, बल्कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है।ऐसी कई सुसंगत परिस्थितियाँ हैं जिनसे आशय का पता लगाया जा सकता है।कुछ सुसंगत विचार निम्नलिखित हैं:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. प्रयुक्त हथियार की प्रकृति।

2. वह स्थान जहाँ चोटें लगी थीं।

3. चोटों की प्रकृति।

4. उपलब्ध अवसर जो अभियुक्त को मिलता है।

22. श्रीमती मथरी बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1964 एससी 986 के मामले में, पृष्ठ 990 पर, न्यायमूर्ति दास गुप्ता ने 'आशय' शब्द की अवधारणा को स्पष्ट किया है।भगवंत बनाम केदारी, आई.एल.आर. 25 बॉम्बे 202 के निर्णय में न्यायमूर्ति बैटी द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए सुसंगत टिप्पणियाँ की गई हैं।वे इस प्रकार हैं:-

"अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार, "आशय" शब्द, तीरंदाजी के लिए एक रूपकात्मक संकेत प्रतीत होता है, और"लक्ष्य" को दर्शाता है और इस प्रकार यह किसी आकस्मिक या केवल संभावित परिणाम का संकेत नहीं देता है – जिसे शायद एक असंभाव्य घटना के रूप में देखा जाता है, लेकिन वांछित नहीं – बल्कि यह उस एक उद्देश्य का संकेत देता है जिसके लिए प्रयास किया जाता है – और इस प्रकार इसका संदर्भ उस प्रमुख उद्देश्य से है, जिसके बिना, कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।"

23. बासदेव बनाम पेप्सू राज्य, एआईआर 1956 एससी 488, पृष्ठ 490 पर, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर अय्यर द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:---

"6 वास्तव में, हमें उद्देश्य, इरादे और ज्ञान के बीच अंतर करना होगा।उद्देश्य वह चीज़ है जो किसी व्यक्ति को इरादा बनाने के लिए प्रेरित करती है और ज्ञान उस कार्य के परिणामों के बारे में जागरूकता है।कई मामलों में

आशय और ज्ञान एक–दूसरे में विलीन हो जाते हैं और कमोबेश एक ही अर्थ रखते हैं और ज्ञान से आशय का अनुमान लगाया जा सकता है।ज्ञान और आशय के बीच की सीमा रेखा निस्संदेह पतली है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि वे अलग–अलग अर्थ रखते हैं।यहाँ तक कि कुछ अंग्रेजी निर्णयों में भी, इन तीनों विचारों का परस्पर उपयोग किया जाता है और इससे कुछ हद तक भ्रम पैदा हुआ है।"

24. निर्णय के कंडिका 9 में, पृष्ठ 490 पर, **कोलरिज जे. द्वारा रेग. बनाम मोंकहाउस, (1849) 4 कॉक्स सीसी 55(सी)** में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है।इस स्तर पर इनका उल्लेख लाभकारी रूप से किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रकाश डालती हैं:––––

आशय की जाँच, किसी कार्य के किए जाने की जाँच से कहीं कम सरल है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के मन में झाँककर यह नहीं देख सकते कि उस समय वहाँ क्या चल रहा था। उसका आशय क्या है, इसका अंदाज़ा केवल उसके कार्यों या कथनों से ही लगाया जा सकता है, और यदि वह कुछ नहीं कहता है, तो केवल उसके कार्य से ही आपको अपने निर्णय पर पहुँचना चाहिए।आपराधिक कानून में यह एक सामान्य नियम है, और यह सामान्य बुद्धि पर आधारित है, कि जूरी को यह मानकर चलना चाहिए कि कोई व्यक्ति वही करेगा जो उसके कृत्य का स्वाभाविक परिणाम है। परिणाम कभी–कभी इतना स्पष्ट होता है कि इरादे के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सिर पर, जिसके बारे में उसे पता हो कि उसमें भरी हुई पिस्तौल है, तानकर उसे बिना उसे मारने के आशय से नहीं चला सकता; लेकिन यहाँ भी, पक्ष की मानसिक स्थिति पर विचार करना सबसे महत्वपूर्ण है।उदाहरण के लिए, यदि ऐसा कृत्य किसी जन्मजात मूर्ख द्वारा किया गया हो, तो उस कृत्य से हत्या के आशय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।इसलिए यदि यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी नशे में था, तो प्रश्न और भी सूक्ष्म हो जाता है; लेकिन यह उसी प्रकार का है, अर्थात्; क्या नशे के कारण वह आरोपित इरादे को पूरी तरह से अक्षम बना दिया गया था?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपर्युक्त निर्णय में सुझाए गए मानदंड को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि हमारी विधायिका ने दो अलग–अलग शब्दावलियों 'इरादा' और 'ज्ञान' का प्रयोग किया है और शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किए गए कार्य, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, के लिए अलग–अलग दंड का प्रावधान किया गया है और ऐसे कार्य के लिए, जिसमें यह जानते हुए भी कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे के बिना, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, अलग–अलग दंड का प्रावधान किया गया है, यह मानना उचित होगा कि 'आशय' और 'ज्ञान' को एक–दूसरे के समान नहीं माना जा सकता है।वे अलग–अलग चीजों को इंगित करते हैं।कभी–कभी, यदि परिणाम इतना स्पष्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञान से, आशय का अनुमान लगाया जा सके।परंतु इसका मतलब यह नहीं होगा कि 'आशय' तथा 'ज्ञान' एक ही हैं।'आवश्यक आशय का निर्धारण या अनुमान लगाते समय 'ज्ञान' केवल उन परिस्थितियों में से एक होगी जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

26. कुदुमुला महानंदी रेड्डी मामले में,एआईआर 1960 एपी 141 में भी 'ज्ञान' और 'आशय' के बीच के अंतर को सटीक रूप से समझाया गया है।यह इस प्रकार है---

ज्ञान और आशय को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

17. ..... प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह माना जाता है कि वह अपने कार्य के प्राकृतिक और संभावित परिणामों का आशय रखता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।इसलिए, किसी अपराधी के आशय के बारे में निर्णय लेने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके कार्यों के प्राकृतिक और संभावित परिणाम क्या होंगे।एक बार जब यह सबूत मिल जाता है कि किसी मृत व्यक्ति को ऐसी चोटें लगी थीं जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, तो यह माना जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें पहुँचाया था, उसने उन प्राकृतिक और संभावित परिणामों का आशय रखा था।उसका अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तीसरे खंड के अंतर्गत आएगा।

18. .....किसी व्यक्ति के आशय का अनुमान उसके कार्यों से लगाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले भी हैं जिनमें मृत्यु कारित होती है और अपराधी पर सुरक्षित रूप से आरोपित किया जा सकने वाला आशय कम गंभीर होता है।दोष की सीमा आशय पर निर्भर करती है और अनुमानित इरादे को सिद्ध तथ्यों से ही समझा जाना चाहिए।कभी-कभी ऐसा कार्य किया जाता है जो सामान्य स्थिति में प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त क्षति नहीं पहुँचाता, परन्तु जिसके बारे में अपराधी जानता है कि उससे मृत्यु कारित होने की संभावना है।ऐसे ज्ञान का प्रमाण उसके आशय पर प्रकाश डालता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. .....धारा 299 के अधीन इस ज्ञान का प्रमाण आवश्यक नहीं है कि आशयित शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित होने की संभावना है।यह निर्णय लेने से पहले कि सदोष मानव वध का मामला हत्या के अंतर्गत आता है, धारा 300 के अंतर्गत उसे लाने के लिए पर्याप्त आशय का प्रमाण होना आवश्यक है।जहाँ जानबूझकर पहुँचाई गई चोट केवल 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना से अधिक' हो, बल्कि प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो, वहाँ अपराध की उच्चतर डिग्री मानी जाती है। इसमें आगे निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-

26.जहां साक्ष्य से यह पता नहीं चलता कि मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई इरादा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि अभियुक्त को यह जानकारी थी कि उनके कृत्यों से मृत्यु होने की संभावना है, वहां अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है।यह तर्क कि मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अंतर्गत लाने के लिए इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों में से एक के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, स्वीकार्य नहीं है।"
27. इस प्रकार, गैर इरादतन हत्या और हत्या के अपराध को परिभाषित करते हुए, भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने यह प्रतिपादित किया कि अभियुक्त को मानव वध या हत्या, जैसा भी मामला हो, के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए अपेक्षित आशय या ज्ञान उस समय आरोपित किया जाना चाहिए जब उसने वह

कार्य किया जिससे मृत्यु हुई।भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने जानबूझकर 'आशय' और 'ज्ञान' दो शब्दों का प्रयोग किया था, और यह माना जाना चाहिए कि निर्माताओं का आशय इन दोनों अभिव्यक्तियों के बीच अंतर करना था।किसी कार्य को करने से होने वाले परिणामों का ज्ञान, उस आशय के समान नहीं है कि ऐसे परिणाम अवश्य होने चाहिए।उन मामलों को छोड़कर जहाँ यह साबित करने के लिए कि किसी व्यक्ति को कुछ निश्चित ज्ञान था, मेन्स रीआ की आवश्यकता नहीं होती, उसे "इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ निर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होंगे या हो सकते हैं।"(रसेल ऑन क्राइम, बारहवाँ संस्करण, पृष्ठ 40 पर खंड 1)

28. इस जागरूकता को ज्ञान कहा जाता है।लेकिन यह जानना कि किसी कार्य को करने से विशिष्ट परिणाम निकलेंगे या निकल सकते हैं, उस आशय के समान नहीं है कि ऐसे परिणाम निकलेंगे। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कोई कार्य करता है कि कुछ परिणाम निकलेंगे या निकलेंगे, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने ऐसे परिणामों का आशय किया था और ऐसे आशय से कार्य किया था। आशय के लिए परिणामों की मात्र दूरदर्शिता से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है।किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी कार्य को उद्देश्यपूर्ण ढंग से करना आवश्यक होता है। इस विषय पर प्रमुख पाठ्यपुस्तकों के दो अंशों का हवाला देकर हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, सत्रहवें संस्करण के पृष्ठ 31 में लिखा है:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आशय रखने का अर्थ है, किसी वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन में एक निश्चित उद्देश्य रखना; वर्तमान संदर्भ में संज्ञा 'आशय' का प्रयोग उस व्यक्ति की मनःस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जो न केवल अपने आचरण के संभावित परिणामों को पहले से ही देख लेता है, बल्कि उनकी इच्छा भी रखता है..... यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब तक दूरदर्शिता न हो, तब तक आशय नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के लिए निर्णय लेना चाहिए, और तदनुसार उसे पहले से ही देख लेना चाहिए कि उसका व्यक्त उद्देश्य किस ओर निर्देशित है..... पुनः, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का तब तक आशय नहीं कर सकता है, जब तक कि वह उसे करने की इच्छा न करे।"

29. अपराध पर रसेल, पृष्ठ 41 पर बारहवें संस्करण, प्रथम खंड में कहा गया है:---

अपराध में मानसिक तत्व के वर्तमान विश्लेषण में "आशय शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसने एक निश्चित परिणाम लाने का संकल्प लिया है, यदि वह ऐसा कर सकता है।वह अपने आचरण की दिशा को इस प्रकार ढालता है कि वह एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसे वह लक्ष्य बनाता है... इरादे से भिन्न, फिर भी उससे काफी मिलते-जुलते, मन के दो अन्य दृष्टिकोण हैं, जिनमें से कोई भी अपने उद्दीपन के आज्ञाकारिता में की गई कार्रवाई से होने वाले नुकसान के लिए कानूनी दंड को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन दोनों को "लापरवाही" शब्द से दर्शाया जा सकता है।इनमें से

प्रत्येक में व्यक्ति एक आचरण अपनाता है जिसका उद्देश्य वह लक्ष्य प्राप्त करना है जिसकी वह इच्छा रखता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि इस आचरण से कोई दूसरा परिणाम भी उत्पन्न हो सकता है

जिसकी वह इच्छा नहीं रखता है।इस स्थिति में वह इस पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य करता है कि वह इस द्वितीयक परिणाम के घटित होने की संभावना को स्वीकार कर रहा है।यहाँ, फिर से, यदि यह द्वितीयक परिणाम विधि द्वारा निषिद्ध है, तो यदि ऐसा होता है तो वह इसहेतु आपराधिक रूप से जिम्मेदार होगा।उसका सटीक मानसिक रवैया दो प्रकारों में से एक होगा–(ए) वह पसंद करेगा कि हानिकारक परिणाम न हो, या (बी) वह इस बारे में उदासीन है कि ऐसा होता है या नहीं।

30. आई. पी. सी. की धारा 299 तथा 300 के वाक्यांशों में कोई संदेह नहीं है कि इन धाराओं के तहत जब यह कहा जाता है कि कोई विशेष कार्य इस तरह के इरादे से दंडनीय होने के लिए किया जाना चाहिए, तो अभियोजन पक्ष द्वारा अपेक्षित आशय को साबित किया जाना चाहिए।यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त का उद्देश्य या इच्छा थी कि उसका कार्य ऐसे तथा ऐसे परिणामों की ओर ले जाए।उदाहरण के लिए, जब धारा 299 के तहत यह कहा जाता है कि "जो कई भी मृत्यु का कारण बनने के आशय से कई कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है" तो यह साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने ऐसा कार्य करके विशेष परिणाम, यानी मृत्यु का कारण बनने का आशय किया था।इसी प्रकार, जब यह कहा जाता है कि "जो कोई ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है" तो यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त का उद्देश्य ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाना था जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. इस प्रकार, किसी अपराध को मानव वध सिद्ध करने के लिए आशय के संबंध में विधि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि दोनों विशिष्ट आशय सिद्ध किए जाएँ।किन्तु, जब ऐसा आशय सिद्ध न भी हो, तब भी अपराध मानव वध ही होगा यदि कार्य करने वाला यह जानते हुए मृत्यु कारित करता है कि उसके ऐसे कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, अर्थात् यह जानते हुए कि उसके कार्य करने का परिणाम ऐसा हो सकता है जिससे मृत्यु हो सकती है।

32. इस मामले में हमारा ध्यान जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गया है, वह यह है कि क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर हमें अपीलकर्ता की धारा 304 भाग 1 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखना चाहिए या हमें इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित कर देना चाहिए?

आई. पी. सी. की धारा 299 तथा 300:---

33. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 क्रमशः 'सदोष मानव वध' और 'हत्या' की परिभाषा से संबंधित हैं।धारा 299 के अनुसार, 'सदोष मानव वध' को मृत्यु कारित करने के ऐसे कृत्य के रूप में वर्णित किया गया है जो (i) मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, या (ii) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, या (iii) इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि ऐसे कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।
जैसा कि इस प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट है, इसका पहला भाग 'आशय' पर ज़ोर देता है जबकि दूसरा भाग 'ज्ञान' पर।हालाँकि, ये दोनों सकारात्मक मानसिक अभिवृत्तियाँ हैं, जिनकी मात्रा अलग-अलग है।'दोषपूर्ण

हत्या' में मानसिक तत्व, यानी आचरण के परिणामों के प्रति मानसिक दृष्टिकोण आशय तथा ज्ञान का एक तत्व है।यदि कोई अपराध ऊपर बताए गए तीन तरीकों में से किसी एक तरीके से किया जाता है, तो उसे 'सदोषपूर्ण मानव वध ' माना जाएगा।हालाँकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 'हत्या' से संबंधित है, हालाँकि इसमें 'हत्या' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा है, 'सदोष मानव वध' एक वंश है और 'हत्या' उसकी प्रजाति है और सभी 'हत्याएँ' 'सदोष मानव वध' हैं, लेकिन सभी 'सदोष मानव वध' 'हत्या' नहीं हैं।(रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 289 देखें।

34. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या, (1976) 4 एस. सी. सी. 382 के मामले में, इस न्यायालय ने इन दोनों शब्दों तथा उनके परिणामों मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"12.दंड संहिता की योजना में, 'मानव वध' जीनस है तथा 'हत्या' प्रजाति है।समस्त 'हत्या' मानव वध" है, परंतु इसके विपरीत नहीं है।आम तौर पर, मानव वध' हत्या के बराबर नहीं है।दंड निर्धारित करने हेतु उद्देश्य से।इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में, संहिता व्यावहारिक रूप से मानव वध के तीन स्तरों को मान्यता देती है।पहला वह है जिसे 'प्रथम श्रेणी की मानव वध' कहा जा सकता है।यह मानव वध का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित किया गया है।दूसरे को 'दूसरे दर्जे के मानव वध' कहा जा सकता है।यह धारा 304 के पहले भाग के अंतर्गत दंडनीय है।फिर, 'थर्ड डिग्री की मानव वध' होती है।यह मानव वध का सबसे निम्न प्रकार है और इसके लिए प्रदान की गई दंड भी तीनों श्रेणियों के लिए प्रदान किये गये दंड में सबसे कम है।इस स्तर का मानव वध धारा 304 के दूसरे भाग के अंतर्गत दंडनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. भारतीय दंड संहिता की धारा 300, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के संदर्भ में आगे बढ़ती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अनुसार, 'मानव वध' 'हत्या' हो भी सकती है और नहीं भी। जब 'मानव वध' हो, तो दंडात्मक परिणाम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार होंगे, जबकि अन्य मामलों में, अर्थात् जहाँ कोई अपराध 'मानव वध' है, वहाँ दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दिया जाएगा। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में उन मामलों पर विचार किया गया है जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में आते हैं। हमारे लिए मामले के उस पहलू पर और अधिक विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं होगा।

36. **विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 एससी 465** के मामले में बताए गए सिद्धांत, न्यायालय के लिए व्यापक दिशानिर्देश हैं कि वे मामलों पर विचार करते समय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करें और यह निर्धारित करें कि वे आईपीसी की धारा 300 के किस विशेष खंड में आते हैं। इस न्यायालय ने आईपीसी की धाराओं 299 और 300, अर्थात् क्रमशः मानव वध' और 'हत्या' के बीच अंतर के महत्वपूर्ण प्रश्न पर बार-बार विचार-विमर्श किया है।**फुलिया टुडू बनाम बिहार राज्य, (2007) 14** एससीसी 588 में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों के वास्तविक दायरे और अर्थ को भूल जाएँ, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।फुलिया टुडू बनाम

बिहार राज्य, (2007) 14 एससीसी 588 में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों के वास्तविक दायरे और अर्थ को भूल जाएंगे तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।इस न्यायालय ने कहा कि इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए सबसे सुरक्षित तरीका इन धाराओं के विभिन्न खंडों में प्रयुक्त मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है।

37. इस न्यायालय ने फुलिया टुडू (सुप्रा) में यह टिप्पणी की है कि 'हत्या' और 'हत्या न करने योग्य मानव वध' के बीच अकादमिक अंतर ने हमेशा न्यायालय को परेशान किया है।यह भ्रम तब पैदा होता है जब अदालतें इन धाराओं में विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों के वास्तविक दायरे और अर्थ को भूलकर, खुद को सूक्ष्म अमूर्तताओं में उलझा लेती हैं।इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए सबसे सुरक्षित तरीका आईपीसी की धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में प्रयुक्त मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है। निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका दोनों अपराधों के बीच अंतर को समझने में सहायक होगी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 299	धारा 300
एक व्यक्ति मानव वध करता है यदि वह कार्य किया जाता है जिससे मृत्यु होती है –	कुछ मानव वध के अधीन हत्या है यदि अपवाद अधिनियम जिसके द्वारा मृत्यु हुई है –
आशय	
((क) मृत्यु करने के आशय से; या (ख) ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो; या	(1) मृत्यु कारित करने के आशय से; या (2) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से जिसके बारे में अपराधी को ज्ञात हो कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जिसे हानि पहुँचाई जा रही है; या(3) किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से किया गया हो और पहुँचाई जाने वाली शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो; या (3) किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के आशय से किया गया हो और पहुँचाई जाने वाली शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो; या
ज्ञान	
(सी) इस ज्ञान के साथ कि कार्य से मृत्यु होने की संभावना है	(4) यह जानते हुए कि कृत्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि इससे मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट लगने की पूरी संभावना है, और वह बिना किसी बहाने के ऐसा कृत्य करता है जिससे मृत्यु या ऐसी चोट लगने का जोखिम हो, जैसा कि

	ऊपर बताया गया है।

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में हरे रामयादव बनाम बिहार राज्य के मामले में, जो 2024 आईएनएससी 936 में रिपोर्ट किया गया है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बिना पूर्व-योजना के अचानक हुए झगड़े के मामलों में, जहाँ अभियुक्त ने न तो क्रूरता से और न ही अनुचित लाभ के साथ कार्य किया हो, धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग I आईपीसी में घटाया जा सकता है। न्यायालय ने अपीलकर्ता की तत्काल रिहाई का निर्देश दिया, जो पहले ही लगभग 9 वर्ष और 10 महीने जेल में बिता चुका था क्योंकि अपराध के लिए यह अवधि पर्याप्त थी।निर्णय के सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"12. ऐसा कहने के बाद, अगला प्रश्न जिस पर विचार करना आवश्यक होगा, वह यह है कि क्या आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाना चाहिए या उसे कमतर अपराध में बदल दिया जाना चाहिए। 13. प्रथम सूचक के साक्ष्य से, जो अन्य गवाहों के समान है, यह पता चलता है कि किसी ने ईंटों के ढेर से एक ईंट निकाली थी।ईंटों का वह ढेर अपीलकर्ता का था।इससे क्रोधित होकर, अपीलकर्ता ने रंगलाल यादव (पीडब्लू-5) की पत्नी को गालियाँ देना शुरू कर दिया।पीडब्लू-5 की पत्नी ने आपत्ति जताई और अपीलकर्ता को गालियाँ न देने की चेतावनी दी।बिद्या सागर यादव (पीडब्लू-4) के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि मृतका ने अपीलकर्ता से कहा था कि अगर उसमें हिम्मत है, तो वह उसे मारने का साहस कर सकता है। इसके बाद, अपीलकर्ता ने मृतका पर चाकू से हमला किया।

14. अतः साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि कोई पूर्व-योजना नहीं थी।यह घटना मृतका और अपीलकर्ता के बीच एक मामूली बात पर हुए झगड़े के कारण घटित हुई।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने अपना नियंत्रण खो दिया और मृतका पर चाकू से हमला कर दिया।

15. हम पाते हैं कि यह घटना मृतक के उकसावे के कारण क्रोध के आवेश में गंभीर और अचानक लड़ाई के कारण हुई है।साक्ष्य के अवलोकन से यह भी पता चलते है कि यह एक ही क्षति का मामला है।ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि अपीलकर्ता ने क्रूरतापूर्वक कार्य किया है या स्थिति का अनुचित लाभ उठाया है।

16. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत अपवाद का लाभ पाने का हकदार होगा।

39. माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोवर्धन और एक अन्य बनाम छत्तीसगढ़, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 69, ने समान परिस्थितियों पर विचार करते हुएस्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ घटना बिना किसी पूर्व-योजना के, आवेश में, और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना, अचानक हुए झगड़े से उत्पन्न होती है, तो मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के दायरे में आता है। कंडिका 14 से 17 में, न्यायालय ने पूर्व-योजना के अभाव और घटना की अचानकता की व्याख्या की।कंडिका 19 में, न्यायालय ने कानूनी स्थिति को दोहराया कि ऐसे मामले गैर-इरादतन हत्या का गठन करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंततः, कंडिका 21 और 22 में, न्यायालय ने दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 302 से बदलकर आईपीसी की धारा 304 भाग I कर दिया और दस वर्ष के कठोर कारावास का दंड पारित किया गया है.निर्णय के सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किए गए हैं:

14. उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, अपीलकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें दोषी करार दिया, जबकि आरोपी सं 3, उनके पिता चिंताराम को अपराध में उनकी भागीदारी के बारे में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
15. इस प्रकार, हमारे समक्ष दो अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखने वाले निर्णय पर आक्षेप कर रहे हैं।

16. हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं की तर्क का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) चूँकि तीसरे अभियुक्त चिंताराम, जो दोनों अपीलकर्ताओं का पिता है, को उच्च न्यायालय ने उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया था जिनके आधार पर दोनों अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया था, इसलिए दोनों अपीलकर्ताओं को भी समानता के आधार पर बरी किया जाना चाहिए था क्योंकि तीनों अभियुक्तों के साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता में कोई भौतिक अंतर नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) अन्यथा भी, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जो एक हितबद्ध साक्षी भी है, अर्थात् मृतक की माँ लता बाई (पीडब्लू 10) की अपुष्ट कथन के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती थी।

(iii) सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को मुख्य रूप से कथित प्रत्यक्षदर्शी लता बाई (पीडब्लू-10) की गवाही पर दोषी ठहराया था, हालांकि वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हो सकती थी, क्योंकि संतोष (पीडब्लू-6) ने अपनी एफआईआर में उल्लेख किया था कि उसने सूरज की मां और पिता को घटना के बारे में सूचित किया था, जो दर्शाता है कि लता बाई (पीडब्लू-10) को घटना के बाद घटना के बारे में सूचित किया गया था, इसलिए वह घटना को नहीं देख सकती थी।

(iv) इसके अलावा, लता बाई (पीडब्लू-10) हेतु बयान घटना के 5 दिनों के पश्चात् दर्ज किया गया था तथा अभियोजन पक्ष ने संहिता की धारा 161 के तहत उनहेतु बयान दर्ज करने में देरी की व्याख्या नहीं की है तथा उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, उनके बयान विश्वसनीय नहीं है, जिसके संबंध में बचाव पक्ष ने उड़ीसा राज्य बनाम ब्रह्मानंद नंदा (1976) 4 एससीसी 288 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि डेढ़ दिन तक अभियुक्तों के नामों हेतु उल्लेख करने में विफलता घातक है।

(v) यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक की मां (पीडब्लू-10) और पिता (पीडब्लू-5) मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने या पीड़ित को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे पता चलता है कि उन्होंने घटना को नहीं देखा और इसलिए लता बाई का बयान अत्यधिक संदिग्ध है। इस संबंध में, बचाव पक्ष ने पंजाब राज्य बनाम सुच्चा सिंह, (2003) 3 एससीसी 153 में इस न्यायालय के

निर्णय का हवाला दिया था, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि कोई भी पिता, जो घटनास्थल पर मौजूद होने का दावा कर रहा था, मूकदर्शक नहीं बना रहेगा जब उसके बेटे को उसकी नाक के नीचे चौबीस चोटें पहुंचाई जा रही हों।

(vi) यह भी तर्क दिया गया कि लता बाई (पीडब्लू-10) के कथन में सुधार और अलंकरण हुए हैं, जिससे उसका साक्ष्य अविश्वसनीय और विश्वसनीय नहीं है।

(vii) अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि माँ को छोड़कर लगभग सभी गैर-सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था, जिसमें सूचक संतोष (पीडब्लू-6) और जब्ती साक्षी, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-12 शामिल थे।

17. दूसरी ओर, हमारे समक्ष भी, अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जहाँ तक दोनों अपीलकर्ताओं का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष स्वीकार्य और प्रासंगिक साक्ष्यों पर आधारित है और इस प्रकार उनकी दोषसिद्धि को किसी भी प्रकार से अवैध नहीं कहा जा सकता है, और चूँकि दोनों निचली अदालतों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई विकृति नहीं है, इसलिए इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार, किसी तथ्य को तब सिद्ध कहा जा सकता है जब, अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय या तो यह मानता है कि वह विद्यमान है या उसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह विद्यमान है।न्यायालय यह जाँच करने का कार्य करता है कि अभियुक्त पर आरोपित विशेष आपराधिक कृत्यों सहित आरोपित तथ्य सिद्ध हैं या नहीं।

21. इस समय, "उचित संदेह" से क्या अभिप्राय है, इस पर चर्चा करना सुसंगत होगा। इसका अर्थ है कि ऐसा संदेह काल्पनिक अटकलों से मुक्त होना चाहिए।यह सूक्ष्म भावनात्मक विवरण का परिणाम नहीं होना चाहिए, और संदेह वास्तविक और सारगर्भित होना चाहिए, न कि केवल अस्पष्ट आशंका।एक उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं है, बल्कि तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक उचित संदेह है जैसा कि रमाकांत राय बनाम मदन राय, (2003) 12 एससीसी 395 में कहा गया है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"24.संदेह को उचित कहा जाएगा यदि वे अमूर्त अटकलों के उत्साह हेतु मुक्त हैं।विधि सच्चाई के अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकता है।उचित संदेह का गठन करने के लिए, यह अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया से मुक्त होना चाहिए।केवल अस्पष्ट आशंकाओं के विपरीत, साक्ष्य से या इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध के बारे में संदेह वास्तविक तथा पर्याप्त संदेह होने चाहिए।उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या मात्र संभावित संदेह नहीं है; बल्कि तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक उचित संदेह है।यह मामले में उपलब्ध साक्ष्यों से उत्पन्न होना चाहिए।"

22. उचित संदेह से परे प्रमाण के इस सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय को सभी साक्ष्यों पर निष्पक्ष और उचित तरीके से स्पष्ट विचार करना होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ (1999) 5 एससीसी 96 में निम्नलिखित रूप से कहा है:"8.किसी भी आपराधिक वाद में सभी तत्वों को वैज्ञानिक परिशुद्धता के साथ सिद्ध करना लगभग असंभव है।एक आपराधिक न्यायालय को केवल उचित संदेह की सीमा से परे ही अपराध के बारे में आश्वस्त किया जा सकता है।वास्तव में, 'उचित संदेह' अभिव्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं है।आधुनिक सोच इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि उचित संदेह से परे प्रमाण वही प्रमाण है जो न्यायाधीश को नैतिक निश्चितता प्रदान करता है।

9. संयुक्त राज्य अमेरिका में आपराधिक कानून के एक प्रसिद्ध लेखक, फ्रांसिस व्हार्टन ने अपनी पुस्तक व्हार्टन्स क्रिमिनल एविडेंस (पृष्ठ 31, खंड 1, 12 वें संस्करण) में न्यायिक निर्णयों को इस प्रकार उद्धृत किया है: '"उचित संदेह" वाक्यांश को परिभाषित करना कठिन है।हालाँकि, सभी आपराधिक मामलों में इस शब्द की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए।एक परिभाषा जिसे अक्सर उद्धृत या अनुसरण किया जाता है, वह है वेबस्टर मामले में मुख्य न्यायाधीश शॉ द्वारा दी गई परिभाषा [कॉमनवेल्थ बनाम वेबस्टर, 5 कुश 295:59 मास 295 (1850)]।वे कहते हैं:"यह महज संभावित संदेह नहीं है,क्योंकि मानवीय मामलों से संबंधित और नैतिक साक्ष्य पर निर्भर हर चीज किसी न किसी संभावित या काल्पनिक संदेह के लिए खुली है।यह मामले की वह स्थिति है जो समस्त साक्ष्य की पूरी तुलना तथा विचार के पश्चात् , जूरी सदस्यों के दिमाग को इस विचार में छोड़ देती है कि वे यह नहीं कह सकते कि वे आरोप की सच्चाई की नैतिक निश्चितता के लिए एक स्थायी दृढ़ विश्वास महसूस करते हैं।10. एच.सी. अंडरहिल द्वारा लिखित ग्रंथ "द लॉ ऑफ क्रिमिनल एविडेंस" में (पृष्ठ 34, खंड 1, पाँचवें संस्करण पर) इस प्रकार कहा गया है:उचित संदेह ऐसा होना चाहिए जो एक ईमानदार, समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति, तर्क के साथ, सत्य का पता लगाने की अपनी ईमानदार इच्छा के अनुरूप मन में ला सके। ईमानदारी से मन में लाया गया अपराध का संदेह एक उचित संदेह है।अभियुक्त की निर्दोषता की संभावना के बारे में एक अस्पष्ट अनुमान या अनुमान एक उचित संदेह नहीं है।एक उचित संदेह वह है जो समस्त साक्ष्य पर निष्पक्ष तथा उचित तरीके से विचार करने से उत्पन्न होता है।समस्त साक्ष्य पर स्पष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए तथा यदि जूरी सदस्यों द्वारा इस स्पष्ट विचार के पश्चात् , मन में अभियुक्त के अपराध की पुष्टि बनी रहती है, तो उचित संदेह हेतु कोई जगह नहीं है।

40. इसी प्रकार, रामजीत यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(आपराधिक अपील संख्या 226/2018), दिनांक 01.07.2025 को निर्णीत, में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति पर विचार किया, जिसमें अभियुक्त ने शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर केवल एक ही वार किया था, परन्तु आगे कोई चोट पहुँचाने से परहेज किया था।निर्णय के सुसंगतकंडिका नीचे उद्धृत हैं:-

"68. पुनः संकठ प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 12 एससीसी 564 में, इस तथ्य के कारण कि घटना क्षणिक आवेग में हुई थी और यह एक झगड़े का परिणाम थी, धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 304 भाग I आईपीसी के तहत आरोप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें, निम्नलिखित अवलोकन किया गया था:

"5.अभिलेखों से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि यह घटना क्षणिक आवेश में हुई थी और अपीलकर्ता के भाई द्वारा एक टीले की खुदाई को लेकर हुए विवाद का परिणाम थी।परिवादी गया प्रसाद (पीडब्लू 1) ने इस पर आपत्ति जताई थी।विवाद के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता अपने घर में गया और एक देसी पिस्तौल निकाल लाया।परिवादी के पुत्र – मृतक उमा शंकर – ने विवाद के दौरान हस्तक्षेप किया और उस पर गोली चला दी गई, जिससे उसे एक गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई।

6. मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग I के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम अपीलकर्ता को धारा 304 भाग I आईपीसी के तहत अपराध का दोषी मानते हैं और उसे दस साल के कारावास की दंड पारित किया गया हैं।तत्पश्चात, शेख मतीन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2020) 20 एससीसी 402 में, मृतक द्वारा भारी लकड़ी के ताले से लगे एक ही प्रहार के आधार पर, धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के आरोप को धारा 304 भाग I आईपीसी के तहत आरोप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5.इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता अभियुक्त ने केवल एक ही वार किया था लेकिन मृतक के शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर पर और अवसरों के बावजूद उसने मृतक को और अधिक चोट पहुंचाने से खुद को रोका था, हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि यह धारा 302 आईपीसी के तहत कोई मामला नहीं है। बल्कि, हमारे अनुसार, यह मानना अधिक उचित होगा कि अपीलकर्ता–अभियुक्त आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, हम अपीलकर्ता–अभियुक्त की सजा को धारा 304 भाग I आईपीसी के तहत एक में परिवर्तित करते हैं। चूंकि अपीलकर्ता–अभियुक्त लगभग नौ वर्षों से हिरासत में है, हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि यदि दंड को पहले से ही अभिरक्षा में बिताए गए समय में बदल दिया जाए तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

69. एन. राम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्बझगन बनाम राज्य (सुप्रा) मामले में प्रतिपादित कानून पर विचार किया।इसने बासदेव बनाम पेप्सू राज्य; एआईआर 1956 एससी 488 और पुलिचेरला नागराजू@ नागराज रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य; एआईआर 2006 एससी 3010 और प्रताप सिंह@ पिक्की बनाम उत्तराखंड राज्य (2019)7 एससीसी 424 और दीपक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; (2018)8 एससीसी 228 मामले में प्रतिपादित कानून पर भी ध्यान दिया।उन फैसलों के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका एन. ओ. एस. में टिप्पणी की। 15,16,17 तथा 18 निम्नानुसारः---

"15.बसदेव बनाम पेप्सू राज्य, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 488 के मामले में पृष्ठ 490 पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः

"वास्तव में, हमें उद्देश्य, आशय तथा ज्ञान मध्य अंतर करना होगा।उद्देश्य वह चीज है जो किसी व्यक्ति को कोई आशय बनाने के लिए प्रेरित करती है और ज्ञान कार्य के परिणामों के बारे में जागरूकता है।कई मामलों में आशय और ज्ञान एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं और कमोबेश एक ही अर्थ रखते हैं और आशय को ज्ञान से ही माना जा सकता है।ज्ञान और आशय के बीच की सीमा रेखा निस्संदेह पतली है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि वे अलग-अलग अर्थ रखते हैं।यहाँ तक कि कुछ अंग्रेजी निर्णयों में भी, इन तीनों विचारों का परस्पर उपयोग किया जाता है और इससे कुछ हद तक भ्रम पैदा हुआ है।"16. यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उपर्युक्त निर्णय में सुझाए गए परीक्षण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विधानमंडल ने दो अलग-अलग शब्दावलियों, 'इरादा' और 'ज्ञान' का प्रयोग किया है तथा शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान किया गया है और ऐसे कार्य के लिए, जिसमें यह ज्ञान हो कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे के बिना, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, अलग-अलग दंड का प्रावधान किया गया है, 'इरादे' और 'ज्ञान' को समान रूप से मानना असुरक्षित होगा।वे अलग-अलग चीजें नहीं हैं।अपेक्षित आशय का निर्धारण या अनुमान लगाते समय ज्ञान उन परिस्थितियों में से एक होगा जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।जहाँ साक्ष्य से यह पता नहीं चलता कि मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई इरादा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान था कि उसके कृत्यों से मृत्यु होने की संभावना है, वहाँ अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में, दंड संहिता, 1860 में प्रयुक्त "आशय" और "ज्ञान" शब्दों को देखा जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों शब्दों के बीच एक महीन अंतर है।यदि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में हत्या माना जाने वाला कृत्य यह प्रकट करता है कि धारा 300 के तत्व संतुष्ट नहीं हैं और ऐसा कृत्य अत्यधिक लापरवाही का है, तो वह उक्त धारा के अंतर्गत नहीं आएगा।किसी मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के भाग 3 के अंतर्गत लाने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि उस विशिष्ट शारीरिक चोट को पहुँचाने का इरादा था जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।दूसरे शब्दों में, जो चोट मौजूद पाई गई, वह वही चोट थी जिसे पहुँचाने का आशय था।पुलिचेरला नागराजू @ नागराज रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 11 एससीसी 444:एआईआर 2006 एससी 3010 के मामले में इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की है:

"इसलिए, न्यायालय को सावधानी और सतर्कता के साथ इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इससे यह तय होगा कि मामला धारा 302 या 304 भाग I या 304 भाग II के अंतर्गत आता है या नहीं। कई छोटे या महत्वहीन मामले – फल तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों का झगड़ा, अभद्र शब्द का उच्चारण या यहां तक कि आपत्तिजनक नज़र, झगड़े और समूह संघर्ष का कारण बन सकते हैं, जो अंततः मृत्यु तक पहुंच सकते हैं।ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। कोई आशय भी नहीं हो सकता है।कोई पूर्व-योजना भी नहीं हो सकती है। वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है।दूसरी ओर, हत्या के ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ अभियुक्त यह तर्क देकर हत्या की सज़ा से बचने का प्रयास करता है कि उसकी हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी।यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I/II

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित न किया जाए, या हत्या के बराबर न आने वाले गैर इरादतन हत्या के मामलों को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या माना जाए।मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर निम्नलिखित में से कुछ या कई परिस्थितियों के संयोजन से पता लगाया जा सकता है:(i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त के पास था या उसे घटनास्थल से उठाया गया था; (iii) क्या वार शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग पर लक्षित था; (iv) चोट पहुंचाने में प्रयुक्त बल की मात्रा; (v) क्या कार्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई या खुलेआम लड़ाई के दौरान हुआ था; (vi) क्या घटना संयोगवश घटित हुई या कोई पूर्वचिंतन था; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा था, और यदि हां, तो ऐसे उकसावे का कारण; (ix) क्या यह आवेश में था; (x) क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर और असामान्य तरीके से कार्य किया है; (xi) क्या अभियुक्त ने एक वार किया या कई वार किए।परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं।जैसा भी हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस न्यायालय ने प्रताप सिंह @ पिक्की बनाम उत्तराखंड राज्य, (2019) 7 एससीसी 424 के मामले में देखा था कि मृतक-पीड़ित को कुल 11 चोटें आई थीं और उसे अन्य अपराधों के अलावा धारा 304 भाग-II/धारा 34 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।यह पाया गया कि कुछ विवाद हुआ और बिना किसी पूर्व-योजना के दोनों समूहों में हाथापाई हुई और अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II/धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता युवा थे और तीन वर्ष और पाँच महीने से अधिक की सजा काट चुके थे और उनके बीच कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि सजा की अवधि अत्यधिक है और तदनुसार, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II/धारा 34 के अंतर्गत अपराध के लिए पहले से ही काटी गई अवधि के बराबर की दंड पारित किया है।"27.हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क में तथ्य पाते हैं और सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सजा सुनाते समय सुसंगत तथ्यों का कोई विश्लेषण नहीं किया है जैसा कि 12 जनवरी, 1998 के निर्णय (पेपर बुक के पृष्ठ 96-97) से देखा जा सकता है।यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी सजा की मात्रा के मुद्दे पर विचार नहीं किया है। अभिलेख से जो तथ्यात्मक स्थिति सामने आती है, उससे यह ध्यान देने योग्य है कि वे युवा लड़के थे जिनकी पहले कोई दुश्मनी नहीं थी और वे सामूहिक रूप से बैठकर जगजीत सिंह की रात को देख रहे थे।मृतक के सामने बैठी लड़कियों पर की गई कुछ टिप्पणियों पर, कुछ कहासुनी हुई और वे हाथापाई पर उतर आए और बिना किसी पूर्व-योजना के, दो युवा लड़कों के समूह के बीच कथित दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और इस न्यायालय को सूचित किया जाता है कि अपीलकर्ता ने तीन वर्ष और पांच महीने से अधिक का दंड भुगत लिया है।इस समग्रता को ध्यान में रखते हुए कि घटना जून 1995 की है और कोई अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है, और मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हम अपीलकर्ता के इस तर्क में बल पाते हैं कि सजा की अवधि अत्यधिक है और इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।"

18. दीपक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2018) 8 एस. सी. सी. 228 के मामले में इस न्यायालय ने पाया कि घटना क्षणिक आवेश में घटित हुई थी और हमला, बिना किसी पूर्व-योजना के, पसलियों में एक ही तलवार से किया गया था और घटना क्षणिक आवेश में घटित हुई थी, और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और इस प्रकार अपराध को धारा 302 आईपीसी से धारा 304 भाग II आईपीसी में परिवर्तित कर दिया गया और अपीलकर्ता को पहले से ही काटी गई दोषसिद्धि की अवधि का दंड पारित किया गया तथा तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया।यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

"7.संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना क्षणिक आवेश में हुई और हमला बिना किसी पूर्व-योजना के, समय के आवेग में किया गया था।यह तथ्य कि अपीलकर्ता सड़क के उस पार अपने घर की ओर दौड़ा और तलवार लेकर लौटा, हत्या के आशय का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि घटना की उत्पत्ति और अपीलकर्ता द्वारा किए गए एक ही हमले के साथ-साथ पूरे घटनाक्रम की अवधि डेढ़ से दो मिनट की है।यदि मृतक की जान लेने का कोई इरादा होता, तो अपीलकर्ता को भागने के बजाय, उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए दूसरा हमला करने से कोई नहीं रोक सकता था।ऐसा प्रतीत होता है कि टेप रिकॉर्डर के तेज़ बजने से चिढ़े पड़ोसी द्वारा अपना गुस्सा निकालकर सबक सिखाने की मंशा ज़्यादा थी। लेकिन इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, पसलियों के आसपास किए गए हमले और मौत की संभावना के बारे में अपीलकर्ता को जानकारी होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सम्पूर्ण साक्ष्य, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम अपीलकर्ता की धारा 302 भा.दं. सं. के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रख सकते और इस बात से संतुष्ट हैं कि इसे धारा 304 भाग II आईपीसी में बदला जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है।उनकी दोषसिद्धि के बाद हिरासत में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, हम सजा को पहले से बिताई गई अभिरक्षा अवधि में बदल देते हैं।यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो अपीलकर्ता को तत्काल रिहा किया जा सकता है।लेकिन आज तक उत्तरवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की परिवाद/अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की है, केवल उत्तरवादी संख्या 9 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए।अतः दोषसिद्धि और दंड में पूर्वोक्त संशोधन के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।"

41. भारतीय दंड संहिता की धारा 86 अदालतों को यह आकलन करने का निर्देश देती है कि क्या अभियुक्त, नशे में होने के बावजूद, अपेक्षित आशय/ज्ञान रखता था; स्वैच्छिक नशे में होना दायित्व का बचाव नहीं है, लेकिन यह आशय पर निर्भर करता है।वेल्थेपु श्रीनिवास बनामआंध्र प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 107 जैसे वर्तमान निर्णय ने दोहराया किनशा आशय को कम कर सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता है।जहाँ प्रहार किसी महत्वपूर्ण अंग पर किया गया हो, वहाँ ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का आशय सुरक्षित रूप से लगाया जा सकता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।

42. किसी महत्वपूर्ण अंग पर गर्दन का गहरा घाव निस्संदेह सामान्य प्राकृतिक क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।विवाद्यक यह है कि क्या इन परिस्थितियों में आशय का अनुमान लगाया जा सकता है। भावुक घरेलू झगड़े, पूर्व-योजना के अभाव, नशे की हालत और एक ही वार किए जाने के तथ्य को देखते हुए, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अपीलकर्ता का आशय हत्या करने का था।हालाँकि, गर्दन पर टांगी से प्रहार करने से ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा प्रदर्शित होता है जिससे मृत्यु होने की संभावना थी। यह सीधे तौर पर भा.दं. सं. कि धारा 304 भाग I के अंतर्गत आता है। (अनबझगन सुप्रा)।

43. अभिलेख भा.दं. सं. कि धारा 300 के अपवाद 4 के चार-भागीय परीक्षण को संतुष्ट करता है: (i) अचानक झगड़ा; (ii) पूर्वचिंतन का अभाव; (iii) आवेश में किया गया कार्य; और (iv) कोई अनुचित लाभ या क्रूरता नहीं (वारों की पुनरावृत्ति नहीं है; टांगी एक घरेलू हथियार प्रतीत होता है; हमला क्षणिक था)।जैसा कि गोवर्धन (सुप्रा) मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, ऐसी परिस्थितियां अपराध को गैर इरादतन हत्या में परिवर्तित कर देती हैं।

44. अभियोगी-3 द्वारा अपने बयान में बताए गए आदतन शराब पीने और झगड़ों के साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपीलकर्ता नशे में था।यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 86 दोषमुक्त नहीं करती, परंतु यह उस स्थिति में आशय से वार करने से नहीं रोकती जहाँ वार किसी महत्वपूर्ण अंग पर लक्षित हो। अनबझगन (सुप्रा) में सुसंगत बात यह है कि किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर जानबूझकर किया गया एक वार, भाग 1 की धारा 304 के प्रयोजनों के लिए इरादे को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. अपीलकर्ता के खुलासे पर टैंगी की बरामदगी (प्रत्यावलोकन पी-13) और चिकित्सा राय (प्रत्यावलोकन पी-30) कि जब्त टैंगी से चोट लग सकती थी, लेखकत्व को पुष्ट करती है, लेकिन अचानक हुए झगड़े और एक ही वार के कारण इस कृत्य को हत्या नहीं बनाती है।

46. इस प्रकार, यह घटना बिना किसी पूर्व-योजना के, अचानक हुए झगड़े के दौरान, आवेश में, अपीलकर्ता के नशे की हालत में हुई।किसी महत्वपूर्ण अंग पर एक ही वार से ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा प्रकट होता है जिससे मृत्यु होने की संभावना थी।तदनुसार, मामला भा.दं. सं. की धारा 304 भाग I के तहत आता है।

47. इन सब बातों को संतुलित करते हुए, तथा सामाजिक निंदा को चिह्नित करते हुए, अपराध को कम करने वाले कारकों को स्वीकार करते हुए, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास को न्यायोचित एवं आनुपातिक मानते हैं।

48. तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है। न्यायालय में कहा गया है कि अपीलकर्ता 21.03.2017 से जेल में है और उसने 8 वर्ष से अधिक का दंड पूर्ण कर लिया है।अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग I के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड पारित किया गया है।उसे ऊपर संशोधित दंड भुगतने का निर्देश दिया जाता है

49. आपराधिक अपील को ऊपर उल्लिखित सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

50. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति उस जेल के संबंधित अधीक्षक को भेजी जाए जहां अपीलकर्ता जेल की दंड भुगत रहे हैं, ताकि अपीलकर्ताओं को इसकी तामील की जा सके और उन्हें सूचित किया जा सके कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

51. इस निर्णय और मूल अभिलेख की एक प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

सही /-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही /-
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेडनोट :---

"'हत्या' और सदोष मानव वध' के मध्य अकादमिक अंतर ने न्यायालय को सदैव परेशान किया है। यह भ्रम तब पैदा होता है जब न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों के वास्तविक दायरे और अर्थ को भूलकर, स्वयं को सूक्ष्म अमूर्तताओं में उलझा लेती हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur